कार्यालय सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ कानपुर रोड लखनऊ।

Qksu 0522&2436903 Ih;wth+ 919454400366 QSDI 0522&2436903 bZesy&compac32@uppac.net osclkbZV&uppolice.up.nic.in

पत्र संख्या: व–68/2022 दिनांकः–अक्टूबर 18 ,2022

20 OCT 2023

अल्पकालिक निविदा

32वीं वाहिनी पीएसी सरोजनीनगर लखनऊ के परिसर में जवानों एवं उनके परिवारीजनों के कल्याणार्थ सब्जी, फल आदि की दुकान/शाप ठेके पर संचालित कराये जाने हेतु मुहरबन्द लिफाफे में निविदा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित की जाती है। इस शाप/दुकान से ताजी सब्जी/फल इत्यादि की बिक्री की जायेगी।

1– निविदा निर्धारित प्रारूप में ही प्रेषित किया जायेगा, जिसका प्रारूप कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रू0 500/– नकद देकर प्रधान लिपिक कार्यालय 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ से प्राप्त किया जा सकता है। **निविदादाता द्वारा मुहरबन्द लिफाफे के ऊपर अपना नाम स्थाई पता तथा " सब्जी/फल की शाप के लिए टेण्डर" अवश्य लिखा जाये।** टेण्डर डालने वाला व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि **"उसके द्वारा किसी संस्थान में ठेके पर सब्जी/फल बेचने का कोई अनुभव प्राप्त हो"** अथवा उसे **सब्जी/फल की दुकान चलाने का कितना अनुभव पूर्व से प्राप्त है। यदि किसी राजकीय संस्थान में फल/सब्जी का ठेका लिये हुए है, तो उसका प्रमाण पत्र अवश्य लगाया जाये।**

2– निविदा प्रपत्र/फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 25–10–2023 को प्रातःकाल 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक निर्धारित की गयी है। निविदा फार्म/प्रपत्र प्राप्त करने के उपरान्त निविदा मुहरबन्द लिफाफे में जमा करने की तिथि 27–10–2023 की सायंकाल 14.00 बजे तक होगी। **उसी दिन निविदा सायंकाल 14.00 बजे सभी निविदादाताओं के मध्य उप सेनानायक, सहायक सेनानायक, शिविरपाल 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ की गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। समस्त निविदादाता निविदा खुलने के समय प्रत्येक दशा में उपस्थित रहेगें।**

3– प्रत्येक निविदादाता के द्वारा निविदा के साथ **रू0 5,000–00(रू0 पांच हजार मात्र)** की अर्नेष्ट मनी के रूप में एफ0डी0आर0 अथवा सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदनाम से बन्धक कराकर जमा करना होगा, **अथवा नकद भी जमा किया जा सकता** है।

4– **निविदादाता प्रत्येक दिन बेची जाने वाली ताजी सब्जी/फल आदि की मूल्य सूची को टांगेगा।**

5– निविदा स्वीकृत हो जाने पर जमानत के रूप में रू0 15,000–00 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि एफ0डी0आर0 सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदनाम से बन्धक कराकर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) रू0 100/– नान जुडिश्यल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा।

6– सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह कोई भी निविदा स्वीकार कर सकते है। अस्वीकृत की गयी निविदा के लिए सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगें।

for Service
20/10/23

7– यदि निविदा स्वीकृत होने के बाद सम्बन्धित ठेकेदार/निविदादाता निर्धारित अवधि 07 दिवस के अन्दर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) नहीं भरता है अथवा जमानत की राशि जमा नहीं करता है तो उसकी अर्नेष्ट मनी जम्त करते हुए दूसरी न्यूनतम मूल्य निविदा स्वीकृत की जा सकती है।

निविदा की शर्ते

1– सेन्ट्रल एमिनिटीज फण्ड में निश्चित माहवारी रिवेट देने की घनराशि 10,000–00 (रू0 दस हजार प्रतिमाह) निर्धारित तथा निविदादाता द्वारा अपने निविदा में अंकित किये गये सामानों के दर के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

2– ठेकेदार को निम्नलिखित शर्तो पर आधारित एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा। इसलिए वहीं व्यक्ति/ठेकेदार निविदा प्रेषित करें, जिनकों यह शर्ते स्वीकार हो। रिवेट के अतिरिक्त ठेकेदार को निम्न चार्जेज देने होगें:–

3– ठेकेदार शाप/दुकान में अथवा उसके आस–पास किसी प्रकार का निर्माण अथवा परिर्वतन सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी की अनुमति के बिना नहीं करेगा।

4– वाहिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिजली मीटर की रीडिंग के अनुसार बिजली का बिल देना होगा।

5– सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी के अनुमोदन पर ठेकेदार सब्जी/फल की ाप/दुकान में पूर्ण स्वच्छता आदि से सम्बन्धित आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए बाध्य होगा।

6– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सब्जी/फल की दुकान का आशय/ध्येय पीएसी के कर्मचारियों के परिजनों को सुविधा उपलब्ध करायी जानी है न कि धनोर्पाजन करना है।

7– ठेकेदार पीएसी के प्रत्येक कर्मचारी के परिवारीजनों को बाजार रेट से कम दामों पर सब्जी/फल उपलब्ध करायेगा।

8– ठेकेदार वाहिनी के किस कर्मचारी अथवा उसके परिवारीजनों को सब्जी/फल उधारी के तौर पर नहीं देगा, यदि देता है **तो सेनानायक किसी भी प्रकार की उधारी की अदायगी के लिए जिम्मेदार नहीं होगें।**

9– ठेकेदार शाप/दुकान में किसी प्रकार की कोई नशीली वस्तु, तस्करी आदि का सामान नहीं रखेगा और न ही बासी/पुरानी सब्जी/फल की बिकी करेगा।

10– ठेकेदार शाप/दुकान में कोई रोगग्रस्त व नाबालिग नौकर नहीं रखेगा।

11– ठेकेदार सब्जी व फल आदि वस्तुओं को अत्यन्त सफाई के साथ ढंककर रखेगा।

12– सब्जी, फल की शाप/दुकान पर किसी भी समय कोई भी राजपत्रित अधिकारी बिना को सूचना दिये निरीक्षण कर सकता है।

13– ठेकेदार सब्जी, व फल को बाजार रेट से कम मूल्यों की सूची को ऐसे स्थान पर लटकायेगा/टांगेगा जिससे कर्मचारी अथवा उसके परिवारीजन को आसानी से पढने में दिखाई दे।

14– ठेकेदार साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखेगा, गन्दगी परिलक्षित नहीं होनी चाहिए।

15– ठेकेदार/निविदादाता, निविदा से सम्बन्धित फार्म प्राप्त करने आयेगा, तो अपने साथ स्थाई पता का (प्रूफ/निवास स्थान की आई0डी0 के साथ) प्रमाण ग्राम प्रधान अथवा पार्षद से निवास प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर देगा। किसी भी ठेकेदार/निविदादाता का लोकल/स्थानीय निवास स्थान का पता मान्य नहीं होगा।

16– ठेकेदार सब्जी व फल की शाप/दुकान का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है।

17– ठेकेदार अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, सडी–गली सब्जी व फल बेंचता है, पर्याप्त सफाई नहीं रखता है, बाजार से अधिक दर पर सामान बेचने की शिकायत मिलने पर अथवा वाहिनी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ ठेकेदार पर रू0 500/– तक का जुर्माना एक समय में लगा सकता है।

18– यह ठेका एक वर्ष के लिए होगा और सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए ही ठेका किसी भी समय समाप्त कर सकता है।

9/8/10

(प्रभाकर चौधरी)
सेनानायक,
32वीं वाहिनी पीएसी
लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1–जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ
2–पुलिस आयुक्त लखनऊ को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
3–समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन्स, उ0प्र0
4–समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक अनुभाग/लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ
5–पुलिस अधीक्षक बाराबंकी/उन्नाव/रायबरेली/सीतापुर/हरदोई।
6–सेनानायक 35वीं/02/11/27/25वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ/सीतापुर/रायबरेली।
7–कमेटी अध्यक्ष–उप सेनानायक,/ सदस्य सहायक सेनानायक, शिविरपाल, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8–सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी लखनऊ
9–कन्ट्रोल रूम पीएसी मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।(ई–मेल पर)
10– शिविरपाल 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को प्रचार–प्रसार एव एक प्रति वाहिनी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।